

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 116 / 2016

दर्ज दिनांक:-01.08.2016

1. शिवदयाल पता-प्रार्थी

बनाम

2. कमलसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेशचन्द गुप्ता

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-21.03.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रतिवादी सं. 1 के वकील उपस्थित वादीगण व उनके वकील को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

